फसल के समय कृषि उत्पादों के मूल्यों का कम हो जाना

4546. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिवर्ष फसल के समय कृषि उत्पादों के मूल्य 24 प्रतिशत कम हो जाते हैं और किसानों को बहुत हानि होती है; और

(ख) यदि हां, तो फसल के समय किसानों को उचित मूल्य दिलवाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) फसल की कटाई के पश्चात् अधिकतम विपणन मौसम के दौरान कृषि पण्यों के मूल्य कम हो जाते हैं और जब मण्डी में आवक कम हो जानी शुरू हो जाती है तो पण्यों के मूल्य बढ़ने लगते हैं। परन्तु मूल्यों में यह मौसमी घटा-बढ़ी की सीमा वर्ष-प्रति-वर्ष तथा अलग-अलग पण्यों क लिये अलग-अलग होती है ।

(ख) मूल्य सहाय्य उपायों से अच्छी सप्लाई वाले वर्षों में भी मूल्यों में अनुचित कमी रुक जाती है। फसल की कटाई के समय सरकार द्वारा किसानों को उचित मूल्य दिलवाने के लिये उठाए गए अन्य कदमों में ऋण, विपणन तथा भण्डारण की सुविधायें आदि की व्यवस्था करना शामिल है ।

Improvement in Service Conditions of Staff working in Panchayati Raj Departments

4547. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of **FOOD AND AGRICULTURE** be pleased to state:

(a) in which States there are permanent Departments for development, including the Panchayat and NES Staff;

(b) the reasons for not creating a permanent department for Panchayatiraj staff in Mysore and in other States where it does not exist;

(c) if a permanent department is not being created why should not panchayatiraj staff be inter changeable with revenue and other departments ; and

(d) in view of the frustration in the Panchayatiraj staff whether the Centre proposes to take a hand and provide the necessary finance to establish conditions of service, comparable with other Government Departments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) to (c). The information is being collected from the States and will be submitted in due course;

(d) The betterment of service conditions of Panchayat staff is fully within the competence of the States. The question of giving financial assistance specifically for this purpose does not arise in view of the recommendations of the National Development Council on the subject.

Self-Sufficiency in Food by 1971

4548. SHRI HIMATSINGKA :
SHRI P.C. ADICHAN :
SHRI SHIV KUMARSHASTRI:

Will the Minister of **FOOD AND AGRICULTURE** be pleased to state :

(a) whether at the first meeting of the Central Advisory Committee for Agricultural Production held in New

Delhi in September this year, a comprehensive programme to achieve self-sufficiency in food by 1971 and to achieve agriculture viability in the country was drawn up ;

(b) if so, the details of the schemes chalked out in this regard ; and

(c) the steps to be taken to implement them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) The first meeting of the Central Advisory Committee for Agricultural Production held in New Delhi in September 1969 did not work out any comprehensive programme to achieve self-sufficiency in food by 1971 and to achieve agricultural viability in the country. The meeting was called by the Ministry to discuss important aspects of agricultural development including the progress of new strategy of agricultural development and the problems faced, agriculture in dry and rain-fed areas, programme for promoting the interest of small farmers, consumption of fertilisers and measures for involving non-Governmental organisations in agricultural production, etc. Members of the Committee gave suggestions on various aspects of agricultural development including increased use of fertilizers, soil testing, arrangements for increased supply of agricultural machinery and related services, improvements in marketing and storage, increased supply of credit, expansion of irrigation, research, extension, rural electrification and certain other aspects of agricultural production.

(b) and (c) . Do no arise in view of (a) above.

ट्रैक्टर वितरण योजना

4549. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत 15 अक्टूबर, 1969 तक प्रत्येक राज्य से कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार ने कितने-कितने लोगों को ट्रैक्टर दिये ;

(ग) इस प्रकार कितने देशी और कितने विदेशी ट्रैक्टर वितरित किये गये ; और

(घ) देश में ट्रैक्टरों की मांग को देखते हुए सरकार ने इस दिशा मे अब तक जो प्रयास किये हैं उनका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जानकारी राजकीय कृषि उद्योग निगमों। संघ राज्य क्षेत्रों से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी

(ग) देश में निर्मित ट्रैक्टरों के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है और ये ट्रैक्टर देश के निर्माताओं द्वारा अपने व्यापारियों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं । अत: विभिन्न राज्यों मे वितरित देशी ट्रक्टरों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । आयातित ट्रैक्टरों के बारे में जानकारी राज्यों । संघ राज्य क्षेत्रों से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) ट्रैक्टरों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से, देशीय उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त काफी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आयात करने का निर्णय किया गया है ।